कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2013–14 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2014 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय–II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढ़ंग का वर्णन करता है। इसमें ''अनुदान संख्या–02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की समीक्षा'' तथा ''अनुदान संख्या–18 खाद्य एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा'' नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय–III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार का वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, भारत के 11.54 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के विरूद्ध 15.84 प्रतिशत था।

(कंडिका 1)

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 6441.42 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 1806.00 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.88 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2012–13 के 2.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में 2.4 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.1.2 तथा 1.11.1)

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को सीधे ₹ 9464.50 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में चौदह प्रतिशत ज्यादा था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) (₹ 4606.37 करोड़ अर्थात 49 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2610.13 करोड़ अर्थात 28 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 725.72 करोड़ अर्थात 8 प्रतिशत)।

(कंडिका 1.2.2)

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 68918.65 करोड़) में वर्ष 2013–14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 15.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राक्लन से ₹ 11147.82 करोड़ कम था।

(कंडिका 1.1.1 तथा 1.1.3)

व्यय की गुणवता

- वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य की संचयी व्यय की प्रतिशतता के सापेक्ष में सामाजिक क्षेत्र में व्यय, सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत व्यय से कम था।

(कंडिका 1.7.1)

- वर्ष 2013–14 में पूँजीगत परिव्यय वर्ष 2012–13 के ₹ 9585 करोड़ से बढ़कर ₹ 14001 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत परिव्यय कुल व्यय का वर्ष 2012–13 के 40.49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 48.29 प्रतिशत हो गया। तथापि इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और परिवहन में देखा गया।

(कंडिका 1.1.1 तथा 1.7.2)

- सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण के रूप में वृहद् राशि दी जाती है परन्तु वसूली नगण्य होने के कारण मार्च 2014 तक पुनर्भुगतान हेतु वृहद शेष ₹ 21379.36 करोड़ बकाया था।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय देयता

- राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2009–10 के ₹ 58689.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 1341 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2012–13 के ₹ 6545 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 8351 करोड़ हो गए। तथापि वर्ष 2013–14 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अनुपात (0.024), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया है।

(कंडिका 1.9.2, 1.9.4 तथा 1.11.1)

अध्याय II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहद् बचत

- वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 113152.92 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध वृहद् बचत ₹ 31479.52 करोड़ (27.82 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत वृहद् बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवा प्रदान करने वाले 10 विभागों में भी गत पाँच वर्षो से सतत बचत सूचित हुई।

(कंडिका 2.2 तथा 2.3.2)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013–14 के दौरान आकस्मिकता निधि से 51 अवसरों पर जो अप्रत्याशित प्रकृति के नहीं थे, के निर्वहन के लिए ₹ 689.79 करोड़ के अग्रिम आहरित किए गये।

(कंडिका 2.6)

आधिक्य प्रावधान का अपेक्षित नियमितिकरण

- वर्ष 1977–78 से 2010–11 के दौरान ₹ 1366.95 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण हेतु अपेक्षित थे।

(कंडिका 2.3.3)

विभागीय आकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2013–14 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के पुस्त के साथ 71 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 59020.53 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया।

(कंडिका 2.5)

पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बजटीय नियत्रंण में कमी

- पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था फलतः विभाग में बजटीय नियत्रंण का अभाव था।

(कंडिका 2.9 तथा 2.10)

अध्याय III वित्तीय प्रतिवेदन

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3801.30 करोड़ की अहम राशि 31 मार्च 2014 तक लंबित थे।

(कंडिका 3.1)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध आहरित ₹ 59113.55 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक लंबित था। सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध वृहद् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

(कंडिका 3.2)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

- सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा की प्रस्तुति में नौ महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

(कंडिका 3.3)

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों द्वारा 31 मार्च 2014 तक आहरित ₹ 221.30 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

(कंडिका 3.5)